भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2320

(सोमवार, 3 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए)

राजस्थान में सुविधा शिविर

2320. श्री उम्मेदा राम बेनीवालः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में छोटे व्यापारियों, कारीगरों और शिल्पकारों को अपने उद्यमों का पंजीकरण करने तथा नियामक आवश्यकताओं का पालन करने में सहायता प्रदान करने के लिए कोई आउटरीच या सुविधा शिविर आयोजित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार का देश के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में कार्यशील सूक्ष्म उद्यमों के लिए अनिवार्य फाइलिंग की आवृत्ति को कम करने सहित अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाने का विचार है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): इस मंत्रालय द्वारा इस तरह का कोई विशिष्ट आउटरीच या सुविधा शिविर नहीं चलाया गया है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय कंपनी अधिनियम, 2013 और एलएलपी अधिनियम, 2008 का संचालन करता है। राजस्थान सहित पूरे देश में लागू लघु कंपनियों और लघु एलएलपी के निगमन के साथ-साथ अनुपालन को सुगम बनाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इन उपायों का विवरण अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378क में परिभाषित किसान उत्पादक कंपनी कारीगरों और शिल्पकारों की अपने कार्यकलापों को शामिल करती है, जहां 'प्राथमिक उत्पाद' में हथकरघा, हस्तशिल्प और अन्य कुटीर उद्योगों में लगे व्यक्तियों के उत्पाद शामिल हैं।

किसान उत्पादक कंपनियों को प्रदान की गई छूट का विवरण अनुलग्नक-2 में दिया गया है।

(ख): उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, ऐसा कोई विशिष्ट प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

अनुलग्नक-1

<u>दिनांक 03.08.2026 के लोक सभा अतारांकित प्र.सं. 2320 भाग (क) का अनुलग्नक-1 कंपनियों/एलएलपी के निगमन को सुगम बनाने और लघु कंपनियों और लघु एलएलपी के लिए अनुपालन में सुगमता के उपाय</u>

(i). एजाइल प्रो-एस के साथ स्पाइस+ नामक एक एकल एकीकृत नया वेब प्ररूप तैनात किया गया है। यह प्ररूप 'व्यवसाय शुरू करने' से संबंधित ग्यारह सेवाएं प्रदान करता है, अर्थात् (i) नाम आरक्षण, (ii) निगमन, (iii) स्थायी खाता संख्या (पैन), (iv) कर कटौती खाता संख्या (टैन), (v) निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन), (vi) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) पंजीकरण, (vii) कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) पंजीकरण, (viii) वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) संख्या, (ix) बैंक खाता संख्या, (x) व्यवसाय कर पंजीकरण (मुंबई, कोलकाता और कर्नाटक), (xi) दिल्ली दुकानें और प्रतिष्ठान पंजीकरण।

(ii). कंपनियों और सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) के नाम आरक्षण और निगमन के लिए एक केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी) स्थापित किया गया है।

(iii). कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत क्षेत्राधिकार आरओसी के साथ पहले दायर किए गए विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक ई-प्ररूपों के त्वरित और केंद्रीकृत संचालन के लिए केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) को 16.02.2024 से संचालित किया गया था।

(iv). लघु एलएलपी, एलएलपी नियम, 2009 के नियम 5 में प्रदान किए गए निर्दिष्ट ई-प्ररूप के लिए कम फाइलिंग शुल्क और अतिरिक्त फाइलिंग शुल्क के हकदार हैं। लघु एलएलपी को भी सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 76क(3)(क) के दूसरे प्रावधान के तहत प्रदान किए गए कम शास्ति के अधीन लागू किया जाता है।

(v). लघु कंपनियों के लिए अनुपालन में सुगमता के लिए मुख्य उपाय

क्र.सं.	धारा	विषय	लघु कंपनियों को समर्थन प्रदान करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान
1.	धारा 2(40) - परंतुक	वित्तीय विवरण	वित्तीय विवरण के भाग के रूप में नकद प्रवाह विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता को वैकल्पिक बनाया गया है।

2.	धारा 92(1) - उपबंध	वार्षिक रिटर्न	(i) कंपनी सचिव द्वारा अथवा जहाँ कंपनी सचिव न हो, वहाँ कंपनी के किसी निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किया जाना। (ii) लघु कंपनियों के लिए विहित संक्षिप्त वार्षिक रिटर्न।
3.	92 (1) (छ)	वार्षिक रिटर्न में निदेशकों के पारिश्रमिक का प्रकटीकरण	निदेशकों द्वारा आहरित पारिश्रमिक की कुल राशि का प्रकटीकरण लघु कंपनियों के लिए पर्याप्त है।
4.	धारा 134(3क)	बोर्ड की रिपोर्ट	लघु कंपनियों के लिए विहित संक्षिप्त बोर्ड रिपोर्ट।
5.	कंपनी (लेखा-परीक्षा एवं लेखा-परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 139(2)	लेखा-परीक्षकों का रोटेशन	लघु कंपनियों में लेखा-परीक्षकों का रोटेशन अनिवार्य नहीं है।
6.	141(3) (छ)	लेखा-परीक्षकों की संख्या पर प्रतिबंध	अधिकतम लेखा-परीक्षकों की संख्या से संबंधित प्रतिबंध लघु कंपनियों के लेखा-परीक्षकों पर लागू नहीं होते।
7	143 (3) (झ)	लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर प्रकटीकरण	ये प्रकटीकरण लघु कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं।
8.	173 (5)	बोर्ड की बैठकें	कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निदेशक मंडल की बैठक प्रत्येक 120 दिनों में कम से कम एक बार तथा वर्ष में कुल 4 बार आयोजित की जानी आवश्यक है। तथापि, लघु कंपनी के मामले में, प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की प्रत्येक छमाही में एक बोर्ड बैठक तथा दो बैठकों के बीच न्यूनतम 90 दिनों का अंतर होना, कंपनी अधिनियम की धारा 173(5) की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त है।

9.	446ख	कमतर दंड	धारा 446ख के अनुसार लघु कंपनियाँ कमतर दंड के पात्र हैं।
10.	नियम 8(12)(क)	कंपनी (पंजीकरण कार्यालय एवं शुल्क) संशोधन नियम, 2014	लघु कंपनियों को पेशेवरों द्वारा प्ररूपों के पूर्व-प्रमाणीकरण की आवश्यकता से छूट प्रदान की गई है।
11.	अनुलग्नक-शुल्क सारणी	कंपनी (पंजीकरण कार्यालय एवं शुल्क) संशोधन नियम, 2014	लघु कंपनियों के लिए कमतर शुल्क निर्धारित किया गया है।
12.	खंड 1(2)(iv)	कंपनी (लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (सीऐआरओ 2020)	कंपनी (लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (सीऐआरओ 2020) लघु कंपनियों पर लागू नहीं होता है।
13.	233	आरडी के अनुमोदन से विलय	दो या दो से अधिक लघु कंपनियों के बीच या एक या एक से अधिक स्टार्ट-अप कंपनियों और एक या एक से अधिक लघु कंपनियों के बीच विलय की अनुमति आरडी के अनुमोदन से दी गई है।
14.	2(85)	लघु कंपनियों का निगमन	15 लाख रुपये तक की अधिकृत पूंजी वाली या 20 सदस्यों तक की उन सभी कंपनियों के निगमन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, जहां शेयर पूंजी लागू नहीं होती है।

अनुलग्नक-2

दिनांक 03.08.2026 को लोक सभा अतारांकित प्र.सं. 2320 भाग (क) का अनुलग्नक-2

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत किसान उत्पादक कंपनियों को छूट।

1. न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं से छूट: निगमन के समय कोई अनिवार्य सांविधिक न्यूनतम चुकता पूंजी सीमा नहीं है।

2. शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण से प्रतिरक्षा: शेयरों का हस्तांतरण सक्रिय प्राथमिक उत्पादकों तक ही सीमित है या बोर्ड अनुमोदन के माध्यम से सख्ती से प्रतिबंधित है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कारपोरेट संरचना सदस्य-नियंत्रित रहे।

3. पूंजी-आधारित मतदान अधिकारों से विचलन: धारा 378घ स्पष्ट रूप से एक लोकतांत्रिक मतदान संरचना ("एक सदस्य, एक वोट") को अनिवार्य करती है, जो कंपनी को उन नियमों से छूट देती है जहां मतदान शक्ति इक्विटी शेयरधारिता के समानुपाती होती है।

4. सदस्यता पर कोई सीमा नहीं: प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के विपरीत, किसान उत्पादक कंपनी द्वारा स्वीकार किए जा सकने वाले सदस्यों की संख्या की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।
